ज्ञापांक....4175..../आपूर्ति
70–1–8–2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना,दिनांक– 08-8-16

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय– निविदा आमंत्रण सूचना सं0–27/2016–17 के प्रकाशन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध में निविदा आमंत्रण सूचना सं0–27/2016–17 की पॉच प्रतियॉ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय साथ ही पी0आर0डी0 वेबसाईट पर भी प्रसारित करने की कृपा की जाय।

इस निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन किन–किन समाचार पत्रों में किया गया इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

8/8/16

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ। कृपया इसे आज ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना ।
निविदा आमंत्रण सूचना सं0–27/2016–17

1. विभाग का नाम– पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार, पटना ।
2. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता– पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू),बिहार,पटना ।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय दिनांक– 9/9/2016 – 11:00 बजे पूर्वाहन तक ।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक– 9/9/2016 –11:00 बजे पूर्वाहन ।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान–पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी।
6. कार्य का व्योरा–

क्र0	मद का नाम एवं गुणस्तर	मात्रा (अदद में)
1	**आयरन फोल्डिंग कॉट–** 1. 38×38×5 एम.एम. का आई.एस. 2062/2006 गुणस्तर का आयरन का बना फ्रेम होगा । 2. इस फ्रेम की चौड़ाई में दो सपोटर 25×25×3 एम.एम. का ,एम.एस. प्लेट लगा होगा । 3. बेड का स्टील फ्रेम अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होगा । 4. "लेग पाईप का आउटर डायमेंशन 25 एम.एम. एवं मोटाई 1.6 एम.एम. का आई.एस. 1161/1998 (एमेन्डमेंट नं0–1) गुणस्तर का होगा जिसमें पौन इंच का वाटर प्रुफ प्लाई वुड ग्रीन - Ply Board IS-303/710 BWP/BWR Grade अथवा Block Board IS-1659 BWP/BWR Grade के टॉप का अंतिम आकार 1980x910x460 एम.एम. का होगा। 5. ऐंगल फ्रेम में प्लाईवुड हेक्सागोनल ग्लेबेनाईज्ड नट एवं बोल्ट से कसा होगा । 6. वेड के लेग मोड़ने वाले होना चाहिए तथा मोड़ने के लिए 20×5 एम.एम. की दो पट्टियां मेन फ्रेम से लगी होगी। 7. चारो लेग पर मच्छरदानी के लिए डंटा लगाने का प्रावधान होगा । 8. लेग के नीचले भाग में पी.वी.सी. या हार्ड रबर के मजबूत शूज लगे रहेंगे ।	10,000

निविदा के नियमों, शर्तों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू), बिहार, पटना के दूरभाष सं0–0612–2215295 पर सम्पर्क किया जा सकता है, कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाइट www.prdbihar.gov.in or www.biharpolice.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

8/8/16

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू)
बिहार, पटना ।

निविदा संख्या–27/2016–17 के नियम एवं शर्त

1– इन मदो में निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/ स्थानीय कार्यालय/विक्रेता/एजेंट/आपूर्तिकर्ता/प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी लेकिन सफल निविदादाताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा । अधिकृत विक्रेता/प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्त्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

2– 1 (एक) नमूना निविदा के साथ केन्द्रीय वस्त्र भण्डार, बिहार, पटना में समर्पित करना अनिवार्य होगा । नमूना समर्पित नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3– वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का आयकर रिर्टन ट्रेडिंग अकाउंट/प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउंट एवं बैलंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए ।

4– सभी मदों के लिए निविदा दो भागों में –(1) तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग के रूप में ली जाएगी ।

5– तकनीकी भाग में सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो–कमर्सियल प्रोफाइल), वार्षिक टर्न ओवर तथा अन्य शर्तो का प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्ते, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक सूचनाएँ संलग्न कर समर्पित करेंगे ।

6– वित्तीय भाग में सिर्फ मद का दर सभी कर सहित अंकित करेंगे । अंकित दर में कोई कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा। मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके उपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा ।

7– तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर निविदा सं0–27/2016–17 का तकनीकी भाग तथा निविदा सं0–27/2016–17 का वित्तीय भाग अंकित रहेगा । इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा । **ये दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेगें जिसके उपर सिर्फ निविदा सं0–27/2016–17 अंकित रहेगा । फर्म का नाम एवं पता इस पर अंकित नहीं रहेगा।**

8– नमूना पर क्रय दर किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं किया जाएगा ।

9– फर्म द्वारा समर्पित निविदा के तकनीकी भाग तथा नमूने की जांच केन्द्रीय तकनीकी–सह– उपयोगकर्त्ता समिति द्वारा की जाएगी । फर्मो को तकनीकी सह उपयोगकर्त्ता समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने हेतु आमंत्रित भी किया जा सकता है । फर्म के उत्पादन इकाई का आवश्यकतानुसार निरीक्षण भी किया जा सकता है। जिस फर्म के तकनीकी भाग तथा समर्पित नमूने से केन्द्रीय क्रय समिति संतुष्ट होगी उसी फर्म का वित्तीय भाग समिति के समक्ष खोला जाएगा । उक्त अवसर पर उपस्थित होने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा ।

10– आई.एस. स्पेसिफिकेशन के मदों का नमूना किसी भी भारतीय मानक व्यूरो/ एन.ए.बी.एल. से जांच कराकर, एजेंसी का टैग एवं सील लगाकर समर्पित करना होगा । साथ ही वह प्रयोगशाला भारत मानक व्यूरो / एन.ए.बी. एल. से मद की जांच हेतु मान्यता प्राप्त है, इसका प्रमाण–पत्र भी समर्पित कराना होगा । जांच प्रतिवेदन मूल में समर्पित करना होगा।

11– निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को पुलिस मुख्यालय में खोला जायेगा। उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

12– आपूरित मद का निरीक्षण किस संस्था एवं किस रीति से कराया जाएगा इसका निर्णय विभाग लेगा जो फर्म पर बाध्यकारी होगा । मदों की जांच के दौरान संबंधित खर्च निविदादाता स्वयं वहन करेंगे तथा इस जांच में हुए किसी प्रकार की विलम्ब के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

13– प्रत्येक निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर (सभी कर सहित) स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए । निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा ''कर आवश्यकतानुसार'' इत्यादि अंकित नहीं होना चाहिए।

14– निविदा के साथ Earnest Money Deposit के रूप में 1,00,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट के रूप में पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना के नाम बंधित कर जमा करना अनिवार्य होगा।

15– मद की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार,,फुलवारी शरीफ, पटना में निष्प्रभार ली जाएगी । आपूरित मद तब तक स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि निरीक्षण समिति मदों को निरीक्षण के पश्चात् स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं कर देती है । अस्वीकृत मद की सूचना प्राप्त होने पर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त मद वापस ले जाना होगा ।

16– निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिर्टन, पैन नंबर तथा निर्माणकर्त्ता/ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

17– मदों के लिए व्यक्त दर संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा । 31 मार्च से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होगें ।

18– अगर निविदा अधिकृत विक्रेता या एजेंट द्वारा समर्पित की जाती है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होती है तो एकरारनामा के सम्पादन में निविदाकर्ता को एक साक्षी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साथ ही, निविदाकर्ता को प्राधिकृत करने वाली उत्पादनकर्ता इकाई द्वारा निविदाकर्त्ता के नाम से निर्गत प्राधिकृत पत्र (Authorization Letter) निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित करना अनिवार्य होगा। निविदाकर्त्ता एवं साक्षी द्वारा पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।

19– निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन–कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है ।

20– निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात एवं नमूना स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

21– निविदा में भाग लेने वाले फर्म इस आशय का Affidavit जमा करेंगे कि ''उनका फर्म किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था द्वारा Black Listed/Debarred नहीं किया गया है एवं Sister Concern द्वारा इस निविदा में भाग नहीं लिया जा रहा है।

22–पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मदों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दे या बढ़ा दें ।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू)
बिहार,पटना ।